

## परामर्श / ADVISORY

File no.: PFRDA/16/05/112/0018/2020-REG-POP

May 02, 2023

प्रति / To

सभी उपस्थिति अस्तित्व, केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण तथा एनपीएस न्यास /  
All Point of Presence (POPs), Central Record-keeping Agencies (CRAs) and NPS Trust

**विषय : दिनांक 30 जून, 2023 तक PAN को आधार से जोड़ने के सन्दर्भ में**  
**Subject: Linking of PAN with Aadhaar to be done by June 30, 2023**

CBDT द्वारा दिनांक 28 मार्च, 2023 को जारी प्रेस विज्ञप्ति को ध्यान में रखते हुए, उक्त विषय पर दिनांक 23 मार्च, 2023 को जारी परामर्श के अन्तर्गत, PAN को आधार से जोड़ने की तिथि 30 जून, 2023 तक बढ़ा दी गई है।

In continuation to our earlier advisory dated March 23, 2023 on the captioned subject, the date for linking PAN with Aadhaar has been extended till June 30, 2023 in accordance with CBDT press release dated March 28, 2023.

2. सभी संबंधितों को सलाह दी जाती है कि वे इस संदर्भ में CBDT द्वारा तय की गयी समय-सीमा का पालन करें।

2. All concerned are advised to adhere to the timelines prescribed by CBDT in this regard from time to time.

(सुमीत कौर कपूर / Sumeet Kaur Kapoor)

कार्यकारी निदेशक / Executive Director